फर्द अहकाम

नियम 26

अज[illegible]दालत...........उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा.................मुकाम....................भादरा...........................

.........दीपचंद आदि ....बनाम................रामेश्वर आदि...............................

किस्म मुकदमा........... **88 RT Act**.........नं० ....68 / 07.05.18............सन्.........2018 ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
07-05-2018	आज यह प्रकरण जरिये वकील वादीगण की ओर से पेश किया गया। रिपोर्ट सिगेदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 19.05.2018 को पेश है। (हस्ताक्षर)	
19/5/18	आज यह पत्रावली न्यायालय में लोक अदालत हेतु पेश हुई। वकील वादी एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित। उभय पक्ष के द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि [illegible] 60 PM के खाता नं० 78/83 की 2.530 है० व [illegible] के खाता नं० 76/81 की 2.530 है० [illegible] प्रतिवादी के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी सं. [illegible] दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया है। वकील पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया राजीनामा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा [illegible] वादीगण 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं० 1 तीनों को खातेदार [illegible] किया जाता है। इसी अनुसार [illegible] रिकार्ड दुरुस्त	रामेश्वरलाल सरोज बाला (हस्ताक्षर) राजेन्द्र दीपचन्द (हस्ताक्षर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हु[illegible] तामील जारी हुआ
	[illegible] [illegible] [illegible] कार्यवाही [illegible] [illegible] पक्ष अपना - अपना वहन करेंगे [illegible] [illegible] [illegible] / पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] दफ्तर दाखिल हो/ अध्यक्ष लोक अदालत भादरा कैम्प- भरवाना सदस्य लोक अदालत भादरा भादरा	

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 68/18

अनवान : 1. दीपचन्द्र पुत्र रामेश्वर जाट, भरवाना तहसील भादरा।
2. राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर जाट, भरवाना तहसील भादरा।

–वादीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. सरोज पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 भरवाना में वकीलवादी श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 6 डीपीएन के खाता सं० 79/83 के मु० न. 16 के किला न. 13, 18 ता 23, मु० न. 17 के किला न. 1 ता 3 कुल 2.530 हैक्टर नहरी, चक 1 जीजीएम के खाता सं. 76/81 के मु० न. 10 के किला न. 16 ता 19, 22 ता 25, मु० न. 17 के किला न. 2, 3 कुल 2.530 हैक्टर नहरी में वादीगण 1, 2 तथा प्रतिवादी सं. 1 तीनों को बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज की जावे। प्रतिवादी सं. 2 ने वादभूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ